भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *95
उत्तर देने की तारीख: सोमवार, 10 फरवरी, 2025
21 माघ, 1946 (शक)

विरासत स्मारकों की खराब होती स्थिति

*95. श्री सुखदेव भगत:

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों सहित अनेक ऐसी रिपोर्टों का संज्ञान लिया है जिनमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आने वाले विरासत स्मारकों की खराब होती स्थिति को उजागर किया गया है और यदि हा, तो ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार द्वारा अधिक धनराशि आवंटित किए जाने के बावजूद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत विरासत स्थलों के संरक्षण और रखरखाव में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है और यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोकसभा दिनांक 10.02.2025 को उतरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 95 के भाग (क) और (ख) के उतर में निर्दिष्ट अनुबंध

(क): भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण की रिपोर्ट सहित अनेक रिपोर्टों की टिप्पणियां/ सिफारिशें प्राप्त हुई हैं और इन्हें नोट किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम,1958 के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय संरक्षित स्मारकों / स्थलों का संरक्षण और परिरक्षण करता है।

(ख): भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देशभर में 3698 केंद्रीय संरक्षित स्मारकों / स्थलों का संरक्षण, परिरक्षण और रख-रखाव, आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार करता है।

*****